FORM No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/333

मिसल नम्बर– 68 / 2022

1. सालिगराम आत्मज सुखई आयु 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी 8–ए–34 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. दीपक सिंह चौहान आत्मज बलवीर सिंह
2. श्रीमती बीना चौहान पत्नि श्री दीपक सिंह
3. बलवीर सिंह चौहान पुत्र बुद्वराज सिंह
4. देवकली चौहान पत्नि श्री बलवीर सिंह निवासी ट्राफिक पुलिस के ऑफिस के पीछे, छोगा की बावड़ी मकान नं0 123, लाड़पुरा जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 26/5/25

उपस्थिति:–

1.श्री अविनाश ठाकुर प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिश्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कोटा शहर का स्थाई निवासी एवं विधि की पालना करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थी ने अपने जीवनकाल में विवाह नहीं किया तथा अविवाहित होने के कारण प्रार्थी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण प्रार्थी द्वारा अपनी 44 वर्ष की आयु में अपने साथी श्री बलवीर सिंह चौहान पुत्र श्री बुद्वराज सिंह की पांच पुत्रियों व एक पुत्र में से दों पुत्रियों हेमलता व रीना को जरिये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 19.03.1993 को गोद लिया गया। उभय पक्षकारान के मध्य पारिवरिक रुप से मधुर सबंध होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षीगण को अपने स्वअर्जित मिल्कीयती मकान में निवास करने की अनुज्ञा भी दे दी गई। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण प्रार्थी के साथ निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने जीवनकाल में गोद ली गई बेटी हेमलता का विवाह करवा दिया, और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को यथाशक्ति पूरा कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा स्वेच्छा से अपनी उक्त स्वअर्जित मिल्कीयती मकान् वाके 8–ए–34, महावीर नगर तृतीय, कोटा राजस्थान को जरिये पंजीकृत दानपत्र दिनांक 18.07.2017 को अपनी गोद पुत्री रीना के हक में सम्पूर्ण मिल्कीयती अधिकार के साथ दान कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

दत्तक पुत्री रीना चौहान उक्त मकान की मिल्कीयती मालिक व काबिज हो गई। बाल्यकाल से ही रीना चौहान प्रार्थी की सेवा सूश्रूषा करती चली आ रही है जिससे प्रार्थी अत्यधिक प्रसन्न है। किन्तु रीना चौहान द्वारा रवेच्छा से विवाह कर लिये जाने के कारण उसके प्राकृतिव माता पिता एवं भाई भाभी (परिवार जन) रीना चौहान से नाराज रहने लगे जबकि उनको इस बाबत आपतित का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था । इस कारण शनै – शनै उनका बर्ताव प्रार्थी व रीना चौहान के प्रति उग्र से उग्रतम होता चला जा रहा है। और प्रत्यर्थीगण प्रार्थी की देखभाल में बाधा उत्पन्न करने लगे है। प्रत्यर्थी दीपक सिंह चौहान व उसकी पत्नि आये दिन घर में अशांति का माहौल पैदा कर लड़ाई – झगड़ा करते है। दीपक सिंह चौहान अपने दोस्तो को घर में लाकर शराब पार्टी करता है और हुड़दंग मचाता है। जिससे प्रार्थ के जीवन की सुख शांति समाप्त हो रही है। रीना चौहान द्वारा प्रार्थी की देखभाल करने खाना पीना आदि सुख सुविधाओ की व्यवस्था किये जाने से भी दीपक चौहान व उसकी पत्नी आपत्ति करते है। और रीना चौहान को घर में घुसने उक्त मदान के उपयोग उपभोग मरम्मत निर्माण निवास आदि कार्यों में लडाई झगडा न्यूसेन्स पैदा कर अवैध व अनैतिक कार्य करते है। जिसे करने का उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण की समझाईश किये जाने पर प्रत्यर्थी दीपक सिंह व उसकी पनि श्रीमती बीना चौहान प्रार्थी के साथ गाली – गलौच व दुर्व्वहार करने लगते है। जिसमें बलवीर सिंह और देवकली चौहान भी दीपक सिंह चौहान व बीना चौहान के प्राकृतिक माता – पिता होने के कारण उसका प्रत्यक्ष रुप से साथ देते है। प्रत्यर्थीगण एकराय होकर प्रार्थी पर लगातार यह दबाव बना रहे है कि प्रार्थी अपनी गोदपुत्री रीना चौहान के हक में दान कर चुके मकान को दीपक सिंह चौहान के पक्ष में पुनः दान पत्र आलेखित कर मालिकाना हक दे देवें और इस प्रकार प्रत्यर्थीगण प्रार्थी की मिल्कीयती सम्पति को हड़प जाने पर आभादा है। प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण की उक्त अवैध मांग को नहीं मानने के कारण प्रत्यर्थीगण प्रार्थी के साथ गाली – गलौच करते है। दीपक सिंह चौहान व बीना चौहान कई अवसरो पर प्रार्थी के साथ हाथापाई कर चुकी है और प्रार्थी को भूखा मरने को छोड देते है जब प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान प्रार्थी को भोजन आदि का प्रबंध करने आती है तो उसके साथ भी लडाई – झगडा मारपीटाई गाली गलौच करते हुए अभद्र व अमर्यादित आचारण करने है जिससे प्रार्थी व प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान को गंभीर क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना रहती है। प्रत्यर्थीगण उग्र स्वभाव के व्यक्ति है जिनके विरूद्ध पूर्व में कई बार प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान द्वारा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा शहर कोटा में भी शिकायते दी गई उन्हे शांति बनाये रखने एवं अवैध कृत्य नहीं करने क लिये पाबन्द किया गया किन्तु उसके बाद भी प्रत्यर्थीगण और खासकर दीपक सिंह चौहान व बीना चौहान के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जिससे प्रार्थी को जान का खतरा बना रहता है और प्रार्थी को यह भी शंका रहती है कि प्रत्यर्थीगण प्रार्थी की पुत्री रीना चौहान को भी गंभीर क्षति कारित कर सकते है। प्रार्थी कई बार प्रत्यर्थीगण को मकान खाली करने के सबंध में मौखिक हिदायत दे चुका है किन्तु प्रत्यर्थीगण प्रार्थी के उक्त निर्देशे की पालना से भी इन्कार कर रहे है। प्रत्यर्थी दीपक सिंह चौहान सभी प्रकार से सक्षम है। और दो लाख रुपये के लभगभ मासिक आमदनी प्राप्त करता है। ऐसे में दीपक सिंह चौहान स्वयं और अपने परिवार के लिये सभी सख सुविधाओ निवास आदि की व्यवस्था करने में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सक्षम है। ऐसे में उन्हे प्रार्थी के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न करने एवं प्रार्थी के स्वअजिंत परिसर में निवास करने का प्रत्यर्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थीगण उक्त मकान की रखरखाव देखभाल नहीं करते है। जिससे मकान अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान द्वारा मकान की मरम्मत करवाने एवं निर्माण करवाने का प्रयास करने पर प्रत्यर्थीगण प्रार्थी व रीना चौहान के साथ लड़ाई – झगड़ा करते है। प्रत्यर्थीगण के उक्त कृत्यो से प्रार्थी वृद्धावस्था में अत्यधिक असहाय हो गया है और प्रार्थी के जीवन की शांति पूर्णतया भंग हो चुकी है। प्रत्यर्थीगण के कृत्यो धमकियों के कारण प्रार्थी का जीवन संकटापन्न हो रहा है। प्रार्थी व उसकी पुत्री रीना चौहान द्वारा पुलिस थाना महावीर नगर कोटा में की गई कार्यवाहियों के दौरान पाबन्द किये जाने के बावजूद प्रत्यर्थीगण के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आने के कारण प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना को देखते हुए वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इस आशय के अंतरिम आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थीगण प्रार्थी के जीवन की शांति को भंग ना करें, प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान को प्रार्थी के पास आने, निवास करने उक्त मकान की मरम्मत करवाने एवं आवश्यक निर्माण आदि कार्ये में कोई बाधा उत्पन्न ना करें, पुलिस थाना महावीर के भारसाधक अधिकारी के प्रार्थी व उसकी पुत्री रीना, चौहान की समुचित सुरक्षा के लिये प्रबंध करने बाबत् भी आदेशित किया जावें। प्रत्यर्थीगण प्रार्थी के मिल्कीयती परिसर को तत्काल खाली कर उक्त मिल्कीयत परिसर का खाली कब्जा संभला देंवे तथा भविष्य में प्रार्थी व प्रार्थी की गोदपुत्री रीना चौहान के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार मारपीटाई लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रार्थी के मिल्कीयती स्वअर्जित परिसर में तोड़ फो डना करें, और ना ही उक्त परिसर में न्यूसेन्स पैदा करें, प्रार्थी के उक्त परिसर के निर्माण देखरेख मरम्मत आदि कार्यो में कोई बाधा उत्पन्न ना करें, और ऐसा कोई कृत्य स्वयं भी ना करे और नही अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से करावें, अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो मननीय न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से दस्तावेज दान पत्र एवं मकान की रजिस्ट्री की प्रति पेश है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं प्रार्थी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र उक्त मकान को रीना चौहान के पक्ष में दान कर दिया है। अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी उपरोक्त वर्णित मकान में काबिज है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही बनता है। प्रार्थी द्वार अप्रार्थीगण को उपरोक्त मकान में निवास करने हेतु अनुज्ञा दे रखी थी परन्तु प्रार्थी अब अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करवाना चाहता है जिसका उसको पूर्ण अधिकारी प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मकान 8–ए–34 महावीर नगर तृतीय जिला कोटा से बेदखल किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 5 योम मकान 8–ए–34 महावीर नगर तृतीय कोटा राज0 को खाली कर देवें। बेदखली के आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी महावीर नगर कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★